समाचार.प्रकाषनार्थरू.

ज्वलनषील पदार्थो के 6 गोडाउन मालिकों ने अपने गोडाउन स्वंय हटाये

कचरा एवं गंदगी करने पर 2 गोडाउन मालिकों पर किया जुर्माना

ज्वलनषील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी षहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें

रतलाम 29 अक्टूबर । रतलाम षहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविश्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टरए प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने की कार्यवाही कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार की जा रही है जिसके तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिशेक गेहलोत जावरा रोड पहलवान बाबा की दरगाह पर 2ए नाहरपुरा में 1 श्रीमालीवास में 1 व मौमिनपुरा में 2 ज्वलनषील गोडाउन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिस के तहत गोडाउन मालिकों द्वारा अपने गोडाउन स्वंय हटा लिये।

नाहर पुरा क्षेत्र में गोडाउन मालिक प्रभुलाल.पन्नालाल द्वारा कचरा एवं गंदगी करने पर 10ए000६. व जावरा रोड पहलवान बाबा की दरहगाह के सामने गोडाउन मालिक खुर्षीद अनवर मंसूरी.एहमद नूर मंसूरी द्वारा कचरा एवं गंदगी किये जाने पर 5000 का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनषील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनषील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन षहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनषील पदार्थ कबाड़ सेन्टरए प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे षहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर

निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अमृत सागर से जलकुंभी निकालने के कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रतलाम 29 अक्टूबर । अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धनए उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण में तालाब से जलकुंभी निकालने हेतु क्रय की गई एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मषीन द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर आवष्यक दिषा.निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने तालाब से जलकुंभी निकालने के कार्य की एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मषीन द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होने निर्देषित किया कि निकाली गई जलकुंभी जुलवानिया टे्रचिंग ग्राउण्ड पर ले जाने के बजाय सड़क के उस पर षासकीय भूमि पर फेसिंग किया जाकर वहां डाला जाकर वेस्ट टू कम्पोस्ट का कार्य किया जाये जिससे अनावष्यक मेहनत व आर्थिक बचत होगी साथ ही जलकुंभी निकालने के कार्य में गति आयेगी।

त्रिवेणी मेला परिसर का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

निजी भूमि पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को मेला क्षेत्र में दुकान लगाने के दिये निर्देष

त्रिवेणी के पावन तट पर नगर निगम द्वारा आयोजित किये जा रहे 11 दिवसीय त्रिवेणी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपायुक्त एवं मेलाधिकारी श्री विकास सोलंकी के साथ किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेला परिसर क्षेत्र के समीप संत नगर में निजी भूमि पर लगी दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों का निर्देषित किया कि मेला षासकीय है इसलिये वे अपनी दुकाने निजी भूमि पर ना लगाते हुए मेला परिसर में अपनी दुकानें लगायें दुकाने लगाये जाने हेतु स्थल की कोई कमी नही है।

त्रिवेणी मेले के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेले में 31 दिसम्बर से 3 जनवरी तक आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की

संपूर्ण व्यवस्था मंचए टेन्टए बैठक व्यवस्थाए प्रकाषए विद्युत सज्जा आदि व्यवस्थाऐं समय.सीमा में पूर्ण करने के निर्देष दिये।

इसके अलावा उन्होने कहा कि यह मेला कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार जीरो वेस्ट की थीम पर आयोजित है इसलिये मेले में किसी प्रकार का कचरा एवं गंदगी ना दिखाई दें। दुकानदार व मेले में आने वाले नागरिक पॉलीथीन व डिस्पोजल का उपयोग ना करें इसकी सुनिष्चित्ता की जाये। उन्होने मेले में सफाईए प्रकाषए पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाऐं नियमित रूप से करवाये जाने के निर्देष दिये।

इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए ब्रजेष कुषवाहए मनीश तिवारीए केमिस्ट श्री नीरज षुक्लाए पूर्व क्षेत्रिय पार्शद प्रतिनिधि श्री राकेष मीणा आदि उपस्थित थे।

रतलाम षहर होगा सिगरेट बड्स के कचरे मुक्त

32 पान व सिगरेट की दुकानों पर लगाये सिगरेट बड्स बीन

रतलाम 29 अक्टूबर । रतलाम षहर को सिगरेट बड्स के कचरे से मुक्त किये जाने हेतु रिलाईव ईको फाउन्डेषन व कामधेनू इण्डस्ट्रीज के सहयोग नगर के 32 पान व सिगरेट की दुकानों पर सिगरेट बड्स बीन लगाये गये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रिलाईव ईको फाउन्डेषन व कामधेनू इण्डस्ट्रीज द्वारा एक कदम स्वच्छता की ओर के नारे को सार्थक करते हुए रतलाम नगर के पर्यावरण सुधार हेतु एक अनूठी पहल की है। धूम्रपान करने वाले लोग सिगरेट के बचे हुए हिस्से को सिगरेट बड्स बीन में डालेंगे तो इसका कचरा यहां.वहां नहीं फैलेगा व पर्यावरण दूशित नहीं होगा। बीन पर फाउण्डेषन का मोबाईल नम्बर दिया गया है दुकानदार बीन भरने की सूचना इस मोबाईल नम्बर पर देने पर फाउण्डेषन की टीम द्वारा बीन को खाली किया जाकर बड्स को रिसाईकल हेतु भेजा जायेगा।

फाउण्डेषन के श्री दर्षन अरोड़ा ने बताया की वर्तमान में 32 दुकानों पर बीन लगाये गये है इसकी सफलता को देखते हुए षहर की सभी पान व सिगरेट की दुकानों पर बीन लगाये जायेंगे।

नगर निगम द्वारा नगर के ऐसे नागरिक जो धूम्रपान करते है उनसे अपील की जाती है कि वे धूम्रपान करने के बाद पान व सिगरेट की दुकानों पर लगाये गये सिगरेट बड्स बीन में ही सिगरेट के बचे हुए हिस्से ;बड्सद्ध को डालें।

रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 अक्टूबर । षहर के व्यावसायिक क्षेत्र स्टेषन रोडए दो बत्तीए लोकेन्द्र भवन रोडए पावर हाउस रोडए कोर्ट तिराहा आदि क्षेत्रों के रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण किये जाने पर 7 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

28 दिसम्बर मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान दौलत.राजूए प्रषांत ओसानए धनराज.बसंतए नरेन्द्र.विजयए आकाष.मुकेषए षेखर. सोहन व अजय.बसंत द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 12ण्9 लाख व जलकर 2ण्94 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 29 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रु. व जलकर 54ए850रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रु. व जलकर 34ए520रु.ए जवाहर नगर अम्बे माता

मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए35ए334६ व जलकर 24ए000६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5ए 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगरए वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोडए वार्ड क्रमांक 5ए 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगरए वार्ड क्रमांक 14ए 15ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगरए वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35

के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 29 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्डए बाजना बस स्टैण्डए सैलाना बस स्टैण्ड्ए रेलवे स्टेषनए मुखर्जी नगरए कालिका माताए नगर निगमए फायर ब्रिगेडए चांदनी चौकए गौषाला रोड पेयजल टंकीए ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

29 नवम्बर 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 29 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 दिसम्बर बुधवार को 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

29 दिसम्बर बुधवार को डम्पर से 25455ए टेª क्टर से 19745ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18210 व काम्पेक्टर गीला कचरा 9000 किलो इस तरह कुल 72410 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6585 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 29 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 29 दिसम्बर बुधवार तक 6585 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 65ण्85 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

मास्क नहीं लगाने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 29 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर भगवानलाल जीपीओ रोड पर 1000ए महेषए अजय जीपीओ रोड पर 100.100ए राकेषए दिलीप जीपीओ रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए

श्री किरण चौहान मो०नं० 7471144932ए श्री विनय चौहान मो०नं० 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो०नं० 7000128812ए आकाष षिन्दे मो०नं० 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो०नं० 6268449110ए राकेष ललावत मो०नं० 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

2663 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 91 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 29 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2513 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध्. तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 150 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 88 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 29 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 29 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड

प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्29ण्12ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण